(3)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाऐं(आई.ई.सी.) राज. जयपुर

क्रमांक आई.ई.सी./लेखा/निविदा/2007/1498 दिनांक 16.8.07

## अल्पकालीन निविदा सूचना

विभाग द्वारा विनायल शीट मुद्रण कार्य हेतु संबंधित मुद्रण कार्य करने वाली अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक 27.8.2007 को प्रातः 11.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनुमानित राशि (रु. लाख में ) | अमानत राशि (रु. लाख में) | निविदा प्रपत्र शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सूचना पट्ट निर्माण कार्य (सन बोर्ड पर विनायल शीट मुद्रण कर पेस्टिंग कार्य) | 9.00 लाख | 0.18 लाख | 100 रुपये |

निविदा प्रपत्र दिनांक 25.8.2007 तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा संबंधी अन्य शर्तो का विवरण कार्यालय समय में कार्यालय में अथवा विभागीय वैब साइट www.rajswasthya.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

16.8

निदेशक (आई.ई.सी.)

अनुमानित राशि रुपये 9.00 लाख
अमानता राशि रुपये 18 हजार

निविदा प्रपत्र मूल्य 100 रुपये
अंतिम तिथि - 27.8.2007

## सन बोर्ड पर विनायल सीट मुद्रण कार्यो हेतु निविदा प्रारूप

1. सन बोर्ड पर विनायल सीट मुद्रण कार्यो हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व .....
   डाक का पत एवं टेलीफोन नं. .....
3. जयपुर सम्पर्क कार्यालय का पता (यदि हो तो)
   .....
4. किसको संबोधित किया गया - निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
5. निविदा सूचना संदर्भ .....
6. निविदा फार्म शुल्क की राशि नकद रसीद संख्या .....दिनांक .....द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक .....मे वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है)।
8. निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी शुल्क एवं करों सहित अंकित करें। अलग अलग दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. मुद्रित सामग्री की आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से सामान्यत: 10 दिवस की अवधि में करनी होगी। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि मे कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. मुद्रण कार्य हेतु **प्रपत्र 'अ'** में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए है तथा कार्य विभिन्न आकारों एवं चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति मे उक्त कार्य निविदा सूचना मे उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नही करवाया जाएगा एवं निविदा सूचना में उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत होने पर एक वर्ष से पूर्व ही उक्त निविदा स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी।
11. निविदा सूचना मे अंकित अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ट्रेजरी चालान निविदा फार्म के साथ संलग्न है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क.सं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|

12. निविदा फार्म के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

एस.आर.-11

## निविदादाताओं द्वारा घोषणा

(देखिए नियम 48 (vii))

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - अ

## Rates of Multi Colour Vinayal Sticker Sheet

| S. No. | Particular & specifications of the job | Rate per Sq. Inch in Rs. (Inclusive all taxes) |
|---|---|---|
| 1. | सूचना पट्ट निर्माण कार्य : –<br>निम्न विवरणानुसार सामग्री व कार्य किया जावेगा।<br>**Vinayal Sticker Sheet**<br>A) Vinayal Sheet - 120 MICRON<br>" A" grade Vinayal Sheet<br>B) **Printing** - Multi Colour 6 Pass Salvant Printing one side in multi colour design with sticking material<br>**Sunboard Sheet(Forex Sheet)**<br>C)Thickness 3mm, Four hole pass for hanging purpose<br>D)विनायल शीट को सन बोर्ड शीट पर पेस्ट किया जाना होग ) | |

नोट :-

1. मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी शुल्क एवं कर सहित अंकित करना आवश्यक है। अलग से कर/शुल्क आदि की दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी।

2. राजस्थान की इकाईयों/लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से न्यूनतम दर दाता फर्म का निर्धारण राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर नियमानुसार किया जावेगा।

3. निविदादाता को एक ही दर अंकित करनी है। निविदादाता द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न साईज के लिए अलग-अलग दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी।

4. सामग्री विभागीय भण्डार में आपूर्ति की जावेगी ।

**Signature of Tenderer with seal**

## सन बोर्ड पर विनायल सौट मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

1. निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस निविदा का भाग मानी जावेगी।
2. केवल निविदा फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'अ'** में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाऐं। विभागीय प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. निविदा दो प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी जिसमें से एक प्रारूप में ''तकनीकी बिड'' के रूप में होगी'' जिसमें निविदा फार्म, प्रपत्र 'ब', फर्म से संबंधित प्रमाण पत्र, घोषणा विवरण पत्र एवं वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा धरोहर राशि का विवरण हो तथा दूसरा प्रारूप, वित्तीय-बिड के रूप में होगा, में दरों का प्रपत्र 'अ' उल्लेख होना चाहिए ।
4. **विभाग द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी-बिड खोली जावेगी। जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-**
   - निविदा फार्म (मय हस्ताक्षर व मोहर)।
   - अमानत राशि का बैकर चैक/बैक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान (लघु उधोग इकाई को धरोहर राशि में नियमानुसार छूट देय होगी)।
   - दिनांक 31.3.2007 का बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र।
   - मशीनरी से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रिंटिग मशीन होना आवश्यक है। मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
   - राजकीय विभागों एवं उपक्रमों में मुद्रण संबंधी कार्य का गत तीन वर्षों का अनुभव एवं संतोष जनक प्रमाण पत्र।
   - वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंक से हैसियत प्रमाण पत्र
   - फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यों के पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर तीस लाख रूपये से अधिक होना आवश्यक है।
   - मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।
   - यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का स्थाई प्रमाण पत्र।
   - फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)
   - निविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस निविदा के लिये विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नही करेगा।
5. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की ''वित्तीय बिड'' नही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

6. बयाना राशि [illegible]
मूल्य को 0.5 प्रतिशत और अमानत राशि आदेशित मात्रा के मूल्य को 1 प्रतिशत ला जाएगी। अतः यदि फर्म लघु उधोग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक उधोग द्वारा जारी किए गए लघु उधोग इकाइयों के पंजीयन की मूल प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगे।

7. फर्म को मुद्रित सामग्री की आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से निर्धारित दिवस में पूर्ण करनी होगी। विभाग द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवायी जावेगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर द्वारा करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। प्रूफ/डमी को विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्चे पर मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जावेगी।

8. मुद्रण कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।

9. कागज, विनायल शीट विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पैट्रोल, आदि की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

10. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में अधिकतम 1000 में पैक कर विभाग के स्टोर में पहुँचानी होगी। मुद्रक को इसके लिए कोई अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

11. निविदा के साथ धरोहर राशि निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/ट्रेजरी चालान द्वारा स्वीकार्य होगी। ट्रेजरी चालान द्वारा धरोहर राशि निम्नलिखित बजट मद में जमा करवाई जावेगी :-

(ख) - बिना ब्याज वाली जमा रकम
8443 - सिविल जमा
103 - प्रतिभूति जमा

12. फर्म को आदेशित सामग्री का निर्माण आदेशित विनायल शीट एवं जी.एस.एम./माइक्रोन में ही करना होगा। आदेशित जी.एस.एम./माइक्रोन में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मान्य कमी को ही विभाग द्वारा मान्य किया जा सकेगा। इससे अधिक जी.एस.एम. में कमी पर नियमानुसार बिल में से राशि काटी जावेगी।

13. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी

14. बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

15. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।

16. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, आई.ई. सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को होगा।
17. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नही करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि वसूल की जावेगी।
18. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
19. मुद्रक को प्रूफ हेतु भेजे जाने वाले कागज के दोनों हाँशियों पर संशोधन करने हेतु पर्याप्त जगह की व्यवस्था करनी होगी।
20. मुद्रण कार्य विभाग के निर्देशानुसार अनुमोदित डिजाइन के अनुसार करना होगा।
21. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
22. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
23. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (भाग-II के नियम 68 ''खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें'') के अनुसार लागू होंगी।
24. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 27.8.2007 को प्रातः 11.00 बजे तक निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के कार्यालय स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर में जमा करवाने होंगे निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

**निदेशक, आई.ई.सी.**

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

## खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें
## (देखिए जी.एफ.एण्ड ए.आर के नियम 68)

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए:-

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से निविदाएं निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करें।
2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं** :- निविदाएं सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अत: वे एस.आर.11 प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा दह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. **बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र :-** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा निर्धारित प्रारूप फार्म निर्धारित प्रपत्र में भरी जायेगी। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।
8. (1) **दरों की तुलना** : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, निविदत्त दरों के तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।
   (2) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
9. **मूल्य अधिमान** : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भंडार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार की जाएगी।
10. विधि मान्यता: निविदाएं, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
11. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्राइंग आदि के आशय के बारे में सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. निविदादाता अपना संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

13. विशेष विवरण (स्पेसिफिकेशन्स)

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या ..... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी/केता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप है तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(iii) **वारण्टी एवं गारंटी का खंड** : निविदादाता यह गारण्टी देगा की माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दकी के दिनांक से .....दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगा तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि ..... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम व परिणामी होगा), तो उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुएं विकेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि का रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि का या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। उसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएगी, वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विनिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो। मॉडल में परिवर्तन के मामले मे, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। केता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा मे रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा।

14. **निरीक्षण** :

क) केता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय सामग्री/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए है, उन्हें बैंक से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. **सैम्पल** : अनुसूचि मे अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पल ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो उन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।

16. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची मे नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

17. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन सैम्पल को प्रतिधारित किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूट फूट परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नही किया जाएगा।

18. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान आदि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे। उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनकी परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो या विहत किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्रीराम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विहित स्पेसिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा उन्हें स्वीकार किया जायेगा।

20. **नमूने निकालना** : परीक्षणों के मामले में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में 4 सैटों में नमूने लिए जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मोहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जावेगा एवं दूसरे सैट को प्रयोगशाला या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा शेष दो सैट को संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जावेगा।

21. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात

होता हो सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

22. **रद्द करना :**

1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

2) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।

23. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वे उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

24. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्त कर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट फूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

25. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

27. 1) **सुपुर्दगी अवधि** : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह अंतिम पूफ अनुमोदन की दिनांक से आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

2) **मात्रा की सीमा** – आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निदिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

28. **बयाना राशि :**

क) निविदा राशि के साथ निविदा सूचना में निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिए।

1)नकद शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप-103-प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिये।

2)शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

ख) बयाना राशि का प्रतिदाय-असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटाई जायेगी।

ग) **बयाना राशि से छूट** - उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गये निविदा के अनुमानित मूल्य के आधा (0.5%) प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

29. **बयाना राशि का समहरण** - बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा।

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है तो उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) निविदादाता विनिर्दिष्ट विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

30. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-(i)** सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से आपको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।

(ii) निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप में निम्न प्रकार होंगे।

क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

ख) डाक घर बचत बैंक पास बुक जिस विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्कौप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों में अंतिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर

**(Staggered)** किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद गारन्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद , जो भी बाद में हो ताकि उससे संतुष्ट हो जाने पर की निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टर्डकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समहरण**-प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा।

क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

ग) प्रतिभूति निक्षेप का समपहृत करने के लिए मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत **(Counter foil)** निःशुल्क दी जाएगी।

31. (i) समस्त माल रेलवे या गुडस ट्रांसपोर्ट के जरिये भाडा चुकाकर भेजा जायेगा यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे से 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(ii) आर.आर. केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

(iv) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

32. बीमा-

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगा आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

33. भुगतान -

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो किये जाने पर दिया जायेगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता

को नहीं दिये गये उस संबंध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जायेगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सम्पान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होंगे।

34. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने की अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी**-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| (1)क. | विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए | 2.5 प्रतिशत |
| ख. | एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए | 5.0 प्रतिशत |
| ग. | आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए | 7.5 प्रतिशत |
| घ. | विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए | 10.0 प्रतिशत |

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदाय कर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने के तुरन्त उसी समय करेगा, न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता की नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

35. **वसूलियां**-परिनिर्धारित क्षय, कम सप्लाई, टूट-फूट, रदद् की गई वस्तु के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रदद् किये गये मालों की सीमा तक की राशि को भी रोका जा सकेगा, यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

36. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

37. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जबकि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृती में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

38. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

39. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया प्रमाण पत्र

40. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर